न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 108/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/209)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. प्रदीप सिंह पुत्र साहब सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. साहब सिंह पुत्र सेवा सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलदेव कौर पत्नी साहब सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. हर्षविन्द्र कौर पुत्री साहब सिंह पत्नी मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 4. सोनविन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 4/1. वीरपाल कौर पत्नी सोनविन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह जाति जटसिख निवासी 33 एच तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजविन्द्र कौर पुत्री साहब सिंह पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी   तारीख रजूः– 18.10.2021

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

––निर्णय––

दिनांक : 12.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 4.112 हैक्टेयर भूमि में से 2.056 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 85/85 के मुरब्बा नम्बर 3, 19, 44, 61, 71/17, 71/46 की कुल 6.642 हैक्टेयर भूमि में से 1.062 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 77/77 के मुरब्बा नम्बर 60 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातों में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 साहब सिंह के नाम कुल 3.455 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि हमारे संयुक्त हिन्दू खानदान की कृषि भूमि है, जो पारिवारिक सम्पति विभाजन व विरास्तन में प्रतिवादी संख्या 1 साहब सिंह को अपने पिता सेवा सिंह से प्राप्त हुई थी, जो पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि में वादी व अन्य प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है और वादी व अन्य प्रतिवादीगण अपना 1/6 हिस्सा विधिवत पाने के अधिकारी है। साहब सिंह पुत्र सेवा सिंह के बलदेव कौर(पत्नी), प्रदीप सिंह(पुत्र), हर्षविन्द्र कौर(पुत्री), सोनविन्द्र सिंह(मृतक पुत्र), वीरपाल कौर(मृतक सोनविन्द्र सिंह की पत्नी) राजविन्द्र कौर(पुत्री) कुल 6 वारिस है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर कई वर्षो से शांतिपर्वूक काबिज चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कई बार कहा कि आपने मुझे मेरे हिस्सा की कृषि भूमि पारिवारिक सम्पति विभाजन में दे रखी है। अब मेरी संतान बडी हो चुकी है तथा उनकी शादी इत्यादि के लिए मेरे हिस्सा की कृषि भूमि मेरे नाम से दर्ज करवा देवे, ताकि में अपने हिस्सा की कृषि भूमि का अपने अनुरूप उपयोग व उपभोग कर सकूं। उक्त बात पर प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में तो सहमत था, लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ चुकी है तथा वह प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करना चाहता है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र दायर करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मुझ वादी के पास शेष नहीं रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 4.112 हैक्टेयर भूमि में से 2.056 हैक्टेयर भूमि, खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 85/85 के मुरब्बा नम्बर 3, 19, 44, 61, 71/17, 71/46 की कुल 6.642 हैक्टेयर भूमि में से 1.062 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 77/77 के मुरब्बा नम्बर 60 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातों में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 साहब सिंह के नाम दर्ज कुल 3.455 हैक्टेयर भूमि में से वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिये जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4/1, 5 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4/1, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दु कायम नहीं किए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 की प्रति, राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 88/85 की प्रति, राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 77/77 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 4.112 हैक्टेयर भूमि में से 2.056 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 85/85 के मुरब्बा नम्बर 3, 19, 44, 61, 71/17, 71/46 की कुल 6.642 हैक्टेयर भूमि में से 1.062 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 77/77 के मुरब्बा नम्बर 60 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 साहब सिंह के नाम दर्ज कुल 3.455 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। अतः वादी का वाद पत्र, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 4.112 हैक्टेयर भूमि में से 2.056 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 85/85 के मुरब्बा नम्बर 3, 19, 44, 61, 71/17, 71/46 की कुल 6.642 हैक्टेयर भूमि में से 1.062 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 77/77 के मुरब्बा नम्बर 60 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 साहब सिंह पुत्र सेवा सिंह के नाम दर्ज कुल 3.455 हैक्टेयर भूमि में से वादी प्रदीप सिंह पुत्र साहब सिंह को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रदीप सिंह बनाम साहब सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए
मुकदमा नम्बर 108/2021
निर्णय दिनांक :- 12.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने** पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 33 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 26 की कुल 4.112 हैक्टेयर भूमि में से 2.056 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 85/85 के मुरब्बा नम्बर 3, 19, 44, 61, 71/17, 71/46 की कुल 6.642 हैक्टेयर भूमि में से 1.062 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 77/77 के मुरब्बा नम्बर 60 की कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि में से 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 साहब सिंह पुत्र सेवा सिंह के नाम दर्ज कुल 3.455 हैक्टेयर भूमि में से वादी प्रदीप सिंह पुत्र साहब सिंह को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।
उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 12.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/463
दिनांकः 12.08.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर